

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ)

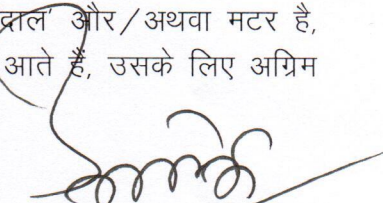
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 17/2015-20
नई दिल्ली, दिनांक: 04 जुलाई, 2019

विषय: अग्रिम प्राधिकार पत्र का निर्गमन जहां आयात मद प्रतिबंधित/निषिद्ध श्रेणी के तहत आने वाली किसी प्रकार की 'दाल' और/अथवा 'मटर' है।

समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा जहां आयात मद प्रतिबंधित/निषिद्ध (कोटा/एसटीई सहित) श्रेणी के तहत आने वाली किसी भी प्रकार की 'दाल' और/अथवा 'मटर' है, उसके लिए तत्काल प्रभाव से अग्रिम प्राधिकार पत्र के निर्गमन को रोकते हैं:

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: जहां आयात मद किसी भी प्रकार की 'दाल' और/अथवा मटर है, जो प्रतिबंधित/निषिद्ध/राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) की सूचियों के तहत आते हैं, उसके लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा।


(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई-मेल: dgft@nic.in

(फाइल सं. 01/94/180/115/एएम-17/पीसी-4 से जारी)